

ओरिजनल आप्लिकेशन संख्या-542/2019 (आई0ए0नं0 395/2019 आई0ए0 396/2019 एवं आई0ए0 418/2019) वृजेश पाण्डेय बनाम् में0 हरिशंकर स्टोन वर्कस व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.08.2019 के क्रम में Factual and Action taken report :-

ओरिजनल आप्लिकेशन संख्या-542/2019 (आई0ए0नं0 395/2019 आई0ए0 396/2019 एवं आई0ए0 418/2019) वृजेश पाण्डेय बनाम् में0 हरिशंकर स्टोन वर्कस व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.08.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

Grievance in this application is against mining leases in forest area in District Sonebhadra, Uttar Pradesh in violation of order of this Tribunal dated 13.07.2018 in O.A No. 429 of 2016, All India Kalmur People's Front v. The State of U.P. & Ors. The applicant has relied upon a letter dated 15.03.2019 by the Regional Forest Officer to the District Magistrate, Sonebhadra recommending action against the twelve mining leases to give effect to order of this Tribunal. The applicant has also filed a copy of representation dated 11.06.2019 pointing out the above facts to the District Magistrate.

In view of the above, we find it necessary to require a factual and action taken report from a joint Committee comprising of Divisional Commissioner, Mirzapur, District Magistrate, Sonebhadra and nominee of PCCF (HoFF), Uttar Pradesh, not lower than the rank of the Chief Conservator of Forest, within one month by email at judicial-ngt@gov.in. PCCF (HoFF) will be the nodal agency for coordination and compliance.

अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली का ओ0ए0 संख्या 542/2019 वृजेश पाण्डेय बनाम् हरिशंकर स्टोन वर्कस व अन्य में याची द्वारा ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी व बरदिया में निम्नलिखित खनन पट्टा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र में खनन कार्य बन्द किये जाने की याचना की गयी है:-

क्र0 सं0	पट्टा धारक का नाम	ग्राम	हाल गाटा संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1	मे0 हरिशंकर स्टोन वर्क्स प्रो0-श्री प्रकाश चन्द्र गोयल निवासी गौरव नगर चोपन सोनभद्र।	बरदिया	910क मि0	3.70
2	मे0 कैमूरांचल स्टोन क्रसिंग कम्पनी पा0-श्री श्रीराम पाण्डेय पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम-सिन्दुरिया, तहसील, रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।	बरदिया	921क	15.00

1	2	3	4	5
3	श्री ऋषि कुमार तिवारी पुत्र श्री महेश्वर तिवारी निवासी-चोपन, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।	बरदिया	941क	2.04
4	मे0 संतोष स्टोन क्रेसिंग वर्क्स पा0-श्री कृष्णा नन्द सिंह पुत्र श्री अवध नारायण सिंह निवासी ग्राम-बिल्लीमारकुण्डी, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	4949मि0 एवं 5006	4.12
5	मे0 आर0डी0एस0 मिनरल्स पा0-श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश कश्यप निवासी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा, जनपद-सोनभद्र एवं श्री सुबेश्वर पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद निवासी ग्राम-हकुहा खोखीपुर, तहसील व जनपद-सुल्तानपुर।	बरदिया	451च	2.74
6	श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह निवासी शिवपुरी कालोनी, स्टेशन रोड, जनपद-मीरजापुर एवं श्रीविजय बहादुर सिंह पुत्र स्व0 शीतला सिंह निवासी शाहपुर, जनपद-सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	आराजी सं0-3575 हा0 नं0-7347क	2.20
7	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद-सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी-चोपन, जनपद-सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	हा0आ0सं0 7586, 7590, 7584	1.85
8	श्री रामकृत सिंह पुत्र स्व0 नन्हकू सिंह निवासी सेक्टर-8, ओबरा, जनपद-सोनभद्र	बिल्ली मारकुण्डी	सा0नं0-2904 व 2905 हा0नं0-5550 व 5580	1.53
9	मे0 अली स्टोन वर्क्स पा0-श्री अकबर अली पुत्र श्री मंजु भाई निवासी-चोपन, जनपद-सोनभद्र व श्रीमती गीतान्जली पत्नी श्री संजीत कुमार निवासिनी ग्राम-बिल्लीमारकुण्डी, सुशीला निवास ओबरा, जनपद-सोनभद्र।	बरदिया	941ख	2.00
10	श्री रमेश चन्द्र वैश्य पुत्र स्व0 कपूर चन्द्र वैश्य निवासी-17/203, चोपनरोड, ओबरा, जनपद-सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	4920मि0, 921मि0, 4922मि0, 4923, 4934, 4937मि0, 4924मि0	2.80
11	अनिल कुमार निषाद पुत्र श्री राधेश्याम निषाद व श्री लल्लू प्रसाद पुत्र श्री डिंगुर प्रसाद निवासीगण ग्राम-कोटा डाला, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	7364ग/1, 7367, 7368, 7369, 7371क, 7372क, 7377क, 7378घ	2.798
12	मे0 श्री कृष्णा स्टोन वर्क्स पा0-श्री रमेश सिंह पुत्र स्व0 राजेश्वर सिंह निवासी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र	बिल्ली मारकुण्डी	7572क, 7572ख, 7546ख, 7564ख/2, 7573क/1	2.65

1	2	3	4	5
13	श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री आर०एस० यादव निवासी ग्राम-धनईपुर, जनपद-गाजीपुर।	बिल्ली मारकुण्डी	5374, 5375मि०, 5377मि०, 5378मि०	2.75
14	मे० बी०सी०एस० इण्टर प्राइजेज पा०-श्री चन्द्र भूषण गुप्ता पुत्र श्री राम लखन गुप्ता निवासी-ओबरा, जनपद-सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सागीर अहमद निवासी-ओबरा, जनपद-सोनभद्र	बिल्ली मारकुण्डी	4419ख, 4419ग, 4422क मि०, 4416क, 7576, 7577ख, 4420मि०	4.86
15	मे० कृष्णा माइनिंग वर्क्स पा०-श्री मधुसूदन सिंह पुत्र श्री राम बदन सिंह निवासी सा०-हिनौती, थाना-घोरावल, जनपद-सोनभद्र एवं श्री दिलीप कुमार केशरी पुत्र स्व० लक्ष्मण प्रसाद निवासी-अयप्पा मंदिर, बिल्ली मारकुण्डी, जनपद-सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	4823, 4821, 4814, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4860मि०, 4771, 4772, 4780, 4782, 4784, 4845, 4815मि०, 4816मि०, 4817मि०, 4818मि०, 4853मि०, 4820मि०, 4810मि०	8.79
16	मे० मां कामाख्या स्टोन वर्क्स पा०-श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय निवासिनी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, जनपद-सोनभद्र	बिल्ली मारकुण्डी	5405ख, 5406, 5407क, 5411	3.99
17	मे० यथार्थ इण्टर प्राइजेज पा०-श्री आलोक कुमार सहाय पुत्र स्व० श्रीनाथ सहाय निवासी मकान नं०-4/115, वी०आई०पी० रोड, ओबरा, सोनभद्र।	बिल्ली मारकुण्डी	5463, 5465, 5466, 5467क, 5552ख,	7.56

उपरोक्त खनन पट्टों के सम्बन्ध में अभिलेखीय परीक्षण किया गया। अभिलेखीय एवं मौके का परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2985/ओबरा/33 दिनांक-30.03.2019 (जो प्रश्नगत रिट के ANNEXUREA-08 के साथ संलग्न है) से कुल 12 खनन पट्टों की जांच कर जिलाधिकारी सोनभद्र को अवगत कराया गया कि 12 खनन पट्टों में से 10 खनन पट्टा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 4 से आच्छादित है तथा 02 खनन पट्टा धारा 4 से आच्छादित नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा चिन्हित किये कुल 10 खनन पट्टों में से 01 खनन पट्टे की लीज अवधि समाप्त होने के कारण खनन कार्य बन्द है, शेष 09 खनन पट्टों में जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र दिनांक-06.12.2018, दिनांक-21.05.2019 व 22.05.2019 से खनन कार्य बन्द कर दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्नक-4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 के साथ संलग्न है। वर्तमान में भी इन खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द है।

2. ओरिजनल आप्लिकेशन संख्या 429/2016 आल इण्डिया कैमूर पिपुल्स फ्रन्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-13.07.2018 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

In view of the above admission that the leases in question are on land covered by the notification under section 4 of Indian Forest Act, 1927 for which notification under section 20 of Indian Forest Act, 1927 has not yet been issued, the plea that the existing leases are valid cannot be sustained. The State of Uttar Pradesh must, as per earlier order of this court and the legal position mentioned above, prohibit forthwith all the leases in the said area.

3. उक्त ओ0ए0 संख्या 429/2016 में याचिकाकर्ता द्वारा 119 खनन पट्टो की सूची मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक-13.07.2018 को आदेश पारित होने के पश्चात 119 खनन पट्टो में से 71 खनन पट्टो की अवधि समाप्त हो जाने के कारण तथा 15 खनन पट्टो में खनन संक्रियाएं कतिपय कारणों से प्रतिबन्धित होने के कारण अर्थात् कुल 86 खनन पट्टे बन्द थे तथा 33 खनन पट्टे संचालित थे, उक्त संचालित खनन पट्टो में से 03 अन्य खनन पट्टो की अवधि समाप्त हो जाने के कारण दिनांक-29.08.2018 को 29 खनन पट्टो में तथा 01 खनन पट्टा में दिनांक-06.12.2018 को खनन/परिवहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उक्त आदेश से ओ0ए0 नम्बर 542/2019 में प्रतिपक्षी संख्या 1 में हरिशंकर स्टोन वर्कर्स के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में भी खनन/परिवहन को भी प्रतिबन्धित कर दिया गया।

उक्त आदेश के क्रम में मै0 हरिशंकर स्टोन वर्कर्स द्वारा दिनांक-20.10.2018 एवं दिनांक-01.04.2019 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उसके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र कभी भी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में विज्ञापित नहीं रहा है। इसी बीच जनहित याचिका संख्या 18769/2017 आल इण्डिया कैमूर पिपुल्स फ्रन्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक-07.03.2019 को आदेश पारित किये गये, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

Accordingly, the interim order dated 12.05.2017 is vacated. The private respondents may be permitted to go ahead with mining operations in pursuance of the lease granted. The private respondents- Mine Operators while undertaking mining operations shall maintain a complete record of the mineral excavated and the royalty paid to the State Government on monthly basis. They shall also file a return month by month relating to excavation of minor mineral and the royalty paid to the State Government before the respondent -Director, Geology and Mining, Lucknow, who in turn shall file a complete statement of returns before the Court, if asked for.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में अन्य पट्टाधारको द्वारा भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत करके स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.05.2017 के क्रम में खनन एवं परिवहन पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए खनन एवं परिवहन की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गयी, उक्त आदेश के

क्रम में जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश दिनांक-15.03.2019 द्वारा खनन पट्टों की धारा 4 में विज्ञापित होने अथवा न होने के परीक्षण हेतु खान अधिकारी, सोनभद्र, प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा नामित अधिकारी (उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन) एवं डिप्टी कलेक्टर सोनभद्र की कमेटी गठित की गयी, कमेटी गठन सम्बन्धित आदेश की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-1। उक्त कमेटी द्वारा राजस्व एवं वन अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त दिनांक-29.03.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, कमेटी की रिपोर्ट दिनांक-29.03.2019 की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-2।

4. ओरिजनल आप्लिकेशन संख्या-542/2019 आई0ए0नं0 395/2019 आई0ए0 396/2019 एवं आई0ए0 418/2019) वृजेश पाण्डेय बनाम् में0 हरिशंकर स्टोन वर्क्स व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.08.2019 से आच्छादित कुल 17 खनन पट्टों में से 12 खनन पट्टे ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के अन्तर्गत तथा शेष 05 खनन पट्टे ग्राम-बरदिया के अन्तर्गत है।

ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के धारा-4 के तरमीम नक्शा, फील्ड बुक, लीडिंग फाईल का नक्शा उपलब्ध न होने के कारण धारा-4 से आच्छादित मीनजुमला गाटों के संबंध में निर्णय वन विभाग, खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कमेटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में लिया गया तथा संशोधित खनन अनुमति केवल उसी भूमि के लिए जारी की गई, जो कि संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा-4 से आच्छादित नहीं पाई गयी थी। ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के अन्तर्गत कुल 12 खनन पट्टों में से 07 खनन पट्टे मात्र आंशिक रूप से धारा 4 से आच्छादित होने के कारण मौके पर सीमांकन के उपरान्त संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 से आच्छादित भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर खनन संचालित करने की अनुमति दी गयी है, परन्तु इन 07 खनन पट्टों में से 05 खनन पट्टे खनन नियमावली का उल्लंघन करने के कारण वर्तमान में प्रतिबन्धित कर दिये गये हैं। शेष 02 खनन पट्टों में खनन कार्य संचालित है।

ग्राम-बरदिया के अन्तर्गत आने वाले 05 खनन पट्टों में से किसी भी पट्टे पर खनन कार्य करने की अनुमति नहीं दी गयी है। ओरिजनल आप्लिकेशन संख्या-542/2019 आई0ए0नं0 395/2019 आई0ए0 396/2019 एवं आई0ए0 418/2019) वृजेश पाण्डेय बनाम् में0 हरिशंकर स्टोन वर्क्स व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.08.2019 से आच्छादित कुल 17 खनन पट्टों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. उपरोक्त तालिका के क्र0सं0 1 पर उल्लिखित खनन पट्टा ग्राम-बरदिया के आराजी गाटा संख्या 910क रकवा 3.70 एकड़ क्षेत्र पर मे0 हरिशंकर स्टोन वर्क्स प्रो0-श्री प्रकाश चन्द्र गोयल के नाम से खनन पट्टा स्वीकृत था, आराजी गाटा संख्या 910क साबिक गाटा संख्या 282 से बना है, जिसका कुल रकवा 17-10-0बीघा है। संयुक्त कमेटी द्वारा राजस्व एवं वन अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त दिनांक-29.03.2019 को दी गयी आख्या के अनुसार गाटा संख्या 282ख रकवा 6-10-0बीघा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित पाया गया, शेष 11-0-0बीघा क्षेत्र संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 में विज्ञापित नहीं पाया गया। धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र को छोड़कर संयुक्त टीम द्वारा

मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दिया गया था। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-3। वर्तमान में गठित कमेटी द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे का पुनः जांच किया गया। कलेक्ट्रेट अभिलेखागार में उपलब्ध वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय की वादो से सम्बन्धित लिडिंग पत्रावली पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मौजूद धारा 4 के मानचित्र से मिलान करने पर प्रश्नगत खनन क्षेत्र धारा 4 से आच्छादित होना पाया गया। जिसके क्रम में खनन कार्य बन्द करा दिया गया है।

2. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 2 पर उल्लिखित मे० कैमूरांचल स्टोन क्रसिंग कम्पनी पा०-श्री श्रीराम पाण्डेय के नाम से ग्राम-बरदिया में स्थित भूखण्ड सं० 921क रकवा 15.00 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। साबिक गाटा 19मि से बना हाल नं० 921क/15.00 एकड़ भूमि (लीज क्षेत्र) धारा-4 से आच्छादित पाया गया। वर्तमान में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-21.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। जिसके अनुपालन में खनन कार्य बन्द है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-4।
3. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 3 पर उल्लिखित श्री ऋषि कुमार तिवारी के नाम से ग्राम-बरदिया में स्थित भूखण्ड सं० 941क रकवा 2.04 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। साबिक गाटा 284 से बना हाल नं० 941क/2.04 एकड़ भूमि (लीज क्षेत्र) धारा-4 से आच्छादित पाया गया। वर्तमान में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-22.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। जिसके अनुपालन में खनन कार्य बन्द है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5।
4. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 4 पर उल्लिखित मे० संतोष स्टोन क्रसिंग वर्क्स पा०-श्री कृष्णा नन्द सिंह के नाम से भूखण्ड सं० 4949मि व 5006 रकवा 4.12 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। साबिक गाटा 2751 से बना हाल नं० 4949मि व 5006/4.12 एकड़ भूमि (लीज क्षेत्र) धारा-4 से आच्छादित पाया गया। वर्तमान में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-06.12.2018 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। जिसके अनुपालन में खनन कार्य बन्द है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6।
5. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 5 पर उल्लिखित मे० आर०डी०एस० मिनरल्स पा०-श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से ग्राम-बरदिया में स्थित भूखण्ड सं० 451च रकवा 2.74 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। साबिक गाटा 281मि से बना हाल नं० 451च/2.47 एकड़ भूमि (लीज क्षेत्र) धारा-4 से आच्छादित पाया गया। वर्तमान में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-21.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। जिसके अनुपालन में खनन कार्य बन्द है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-7।
6. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 6 पर उल्लिखित श्री संतोष कुमार सिंह के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में स्थित भूखण्ड सं० 7347क रकवा 2.20 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय के

पत्रांक-2985/ओबरा/33 दिनांक-30.03.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत खनन पट्टा में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-22.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया था। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-8 वर्तमान में प्रश्नगत खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द है।

7. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 7 पर उल्लिखित में० श्री राजेश कुमार के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के भूखण्ड संख्या 7586/0.329हे०, 7584/0.278हे०, 7590/0.228 कुल 3 गाटा क्षे० 0.835हे० (2.06एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-2985/ओबरा/33 दिनांक-30.03.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत खनन पट्टा में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-22.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-10। वर्तमान में प्रश्नगत खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द है।
8. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 8 पर उल्लिखित में० श्री रामकृत सिंह के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के भूखण्ड संख्या 5580क/0.253हे०, 5581क/1/0.253हे०, 5550क/0.064हे०, 5550ख/0.126हे०, 5550ग/1/1.012हे०, 5550घ/0.038हे०, 5550ड/0.038हे०, 5580ख/0.139हे० कुल 1.923हे० भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-2985/ओबरा/33 दिनांक-30.03.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत खनन पट्टा में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-22.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-11। वर्तमान में प्रश्नगत खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द है।
9. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 9 पर उल्लिखित में० अली स्टोन वर्क्स पा०-श्री अकबर अली के नाम से ग्राम-बरदिया में स्थित भूखण्ड सं० 941ख रकवा 2.00 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। साबिक गाटा 284मि से बना हाल नं० 941ख/2.00 एकड़ भूमि (लीज क्षेत्र) धारा-4 से आच्छादित पाया गया। वर्तमान में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-21.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। जिसके अनुपालन में खनन कार्य बन्द है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-12।
10. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 10 पर उल्लिखित श्री रमेश चन्द्र वैश्य के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में स्थित भूखण्ड सं० 4920मि०, 921मि०, 4922मि०, 4923, 4934, 4937मि०, 4924मि० रकवा 2.80 एकड़ भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-2985/ओबरा/33 दिनांक-30.03.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत खनन पट्टा में जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-22.05.2019 द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-13। वर्तमान में प्रश्नगत खनन पट्टे में खनन कार्य बन्द है।
11. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 11 पर उल्लिखित खनन पट्टा अनिल कुमार निषाद के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी आराजी संख्या 7364ग/1 रकवा 0.253हे०, 7367

4

7

1

रकवा 0.076हे0, 7368 रकवा 0.493हे0, 7369 रकवा 0.139हे0, 7371क रकवा 0.025हे0, 7372क रकवा 0.101हे0, 7377क रकवा 0.063हे0, 7378घ रकवा 0.038हे0 कुल 08 गाटा रकवा 1.188हे0 में से 1.130हे0 (2.79एकड़) क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत है। कुल 08 गाटा रकवा 1.188हे0 में से साबिक नम्बर 3492मि रकवा 0.101हे0 से बना हाल नम्बर 7367 रकवा 0.076हे0, साबिक नम्बर 3492मि रकवा 0.117हे0 से बना हाल नम्बर 7368मि रकवा 0.101हे0, साबिक नम्बर 3492मि0 रकवा 0.190हे0 से बना हाल नम्बर 7369 रकवा 0.139हे0, 3490मि रकवा 0.025हे0 से बना हाल नम्बर 7371क रकवा 0.025हे0, 3490मि रकवा 0.101हे0 से बना हाल नम्बर 7372क रकवा 0.101हे0, 3490मि रकवा 0.060हे0 से बना हाल नम्बर 7377क रकवा 0.063हे0, 3492मि रकवा 0.076हे0 से बना हाल नम्बर 7378घ रकवा 0.038हे0 कुल 0.543हे0 क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्ति से आच्छादित है शेष 02 भू-खण्ड 7364ग/1 रकवा 0.253हे0 व 7368मि0 रकवा 0.392हे0 कुल 0.645हे0 (1.59एकड़) क्षेत्र संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 में विज्ञापित नहीं पाये गये। जिसका संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक- 07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-14। किन्तु खनिज नियमावली के उल्लंघन के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

12. उपरोक्त तालिका के क्र0सं0 12 पर उल्लिखित मे0 श्री कृष्णा स्टोन वर्क्स पा0-श्री रमेश सिंह के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में स्थित भूखण्ड सं0 7572क/0.379हे0, 7572ख/0.089हे0, 7546ख/0.089हे0, 7564ख/2/0.013हे0, 7573क/1/0.506हे0 कुल 5 गाटा रकवा 1.076हे0(2.65 एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। साबिक गाटा 3582मि0/0.126हे0 से बना हाल नं0 7572ख/ 0.089 हे0 भूमि धारा-4 से आच्छादित है। गाटा सं0 7572क/0.379हे0, 7546ख/0.089हे0, 7564ख/2/0.013हे0, 7573क/1/0.506हे0 कुल 4 भूखण्ड रकवा कुल 0.987हे0 (2.43 एकड़) भूमि संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति में विज्ञापित नहीं पाया गया। जिसका संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-15, किन्तु खनिज नियमावली के उल्लंघन के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
13. उपरोक्त तालिका के क्र0सं0 13 पर उल्लिखित मे0 श्री अशोक कुमार यादव के नाम से ग्राम- बिल्ली मारकुण्डी में स्थित भूखण्ड संख्या 5374/0.316 हे0, 5375मि0/0.278हे0, 5377मि0 /1.265हे0, 5378मि0/0.019हे0 कुल 4 गाटा रकवा 1.878हे0 से 1.113हे0 (2.75एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। धारा 4 की विज्ञप्ति में विज्ञापित गाटा सं0 2862मि0/1.391हे0 से बना हाल नं0-5377मि0/1.265हे0 भूमि धारा-4 से आच्छादित है। कुल रकवा 1.878 में से साबिक गाटा 2862मि0/0.316हे0 से बना हाल नं0 5374/0.316हे0, 2862मि0/0.316हे0 से बना हाल नं0

5375मि०/0.278हे, तथा साबित गाटा 2862मि०/0.025हे० से बना हान नं० 5378मि०/0.019हे० कुल 0.613हे० (1.51 एकड़) संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति में विज्ञापित नहीं पाया गया। जिसका संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-16, किन्तु खनिज नियमावली के उल्लंघन के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

14. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 14 पर उल्लिखित में बी०सी०एस० इण्टर प्राइजेज पा०-श्री चन्द्र भूषण गुप्ता के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के भूखण्ड सं० 4419ख/0.164हे०, 4419ग/0.190हे०, 4422क/0.506हे०, 4416क/0.063हे०, 4420/0.051हे०, 7576/0.076हे०, 7577ख /2.124हे० कुल 3.174हे० में से 1.968हे०(4.86 एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। धारा 4 की विज्ञप्ति में विज्ञापित साबिक गाटा सं० 1931मि०/0.170हे० से बना हाल नं० 4419ख/0.164हे०, 1931मि०/0.197हे० से बना हाल नं० 4419ग /0.190हे०, साबिक नं० 3587/0.063हे० से बना हाल नं० 7576/0.076हे० व साबिक गाटा 3586मि०/2.101हे० से बना हाल नं० 7577ख/2.124हे० कुल 2.554हे० भूमि धारा-4 से आच्छादित है, तथा गाटा सं० 4422क/0.506हे०, 4416क /0.063हे०, 4420/0.051हे० कुल 0.620हे०(1.53 एकड़) भूमि जो संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा-4 में विज्ञापित नहीं पाया गया, में से 0.96 एकड़ भूमि का संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-17, किन्तु खनिज नियमावली के उल्लंघन के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
15. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 15 पर उल्लिखित में कृष्णा माइनिंग वर्क्स पा०-श्री मधुसूदन सिंह के नाम ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के भूखण्ड सं०-4823/0.082हे०, 4821/1.896हे०, 4814/0.158हे०, 4847/0.253हे०, 4848/0.278हे०, 4849/0.126हे०, 4850/0.038हे०, 4851/0.708हे०, 4860मि०/0.624हे०, 4771/0.101हे०, 4772/0.126हे०, 4780/0.145हे०, 4782/0.228हे०, 4784/0.095हे०, 4845/0.215हे०, 4815मि०/0.076हे०, 4816/0.822हे०, 4817/0.063हे०, 4818/0.013हे०, 4820/0.038हे०, 4810/0.620हे०, 4853/0.031हे० कुल 22 गाटा क्षेत्र 6.736हे० में से 3.559हे०(8.79 एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। धारा 4 की विज्ञप्ति में विज्ञापित साबिक गाटा सं० 2339मि०/0.152हे० व 2336मि०/1.786हे० से बना हाल नं० 4860मि०/0.624हे० साबिक नं० 2336मि०/0.215 से बना हाल नं० 4845/0.215हे०, 2340/0.253हे० व 2341/0.392हे० से बना हाल नं० 4810/0.620हे०, 2336मि०/0.044हे० से बना हाल नं० 4853/0.031हे० कुल 4 गाटा रगबा 1.490हे० भूमि धारा 4 से आच्छादित पाया गया। गाटा सं० 4823/0.082हे०, 4821/1.896हे०, 4814/0.158हे०, 4847/0.253हे०, 4848/0.278हे०, 4849/0.126हे०, 4850/0.038हे०, 4851/0.708हे०, 4871/0.101हे०, 4872/0.126हे०, 4780/0.145हे०,

4782/0.228हे0, 4784/0.095हे0, 4815/0.076हे0, 4816/0.822हे0, 4817/0.063हे0, 4818/0.013हे0, 4820/0.038हे0 कुल 18 गाटा कुल रकबा 5.246हे0 (12.95 एकड़) भूमि संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 में विज्ञापित नहीं पाया गया। जिसमें से 8.01 एकड़ भूमि का संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-18, किन्तु खनिज नियमावली के उल्लंघन के कारण जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

16. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 16 पर उल्लिखित में मां कामाख्या स्टोन वर्क्स पा०-श्रीमती अंजू राय के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के भूखण्ड संख्या 5405ख/0.089हे0, 5406/0.341हे0, 5407क/0.581हे0, 5411/0.607हे0 कुल 4 गाटा रकबा 1.618हे0(3.99 एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। धारा 4 की विज्ञापित में विज्ञापित साबिक नं० 2336मि०/0.050हे0 से बना हाल नं० 5405ख/0.089हे0, साबिक नं० 2336मि०/0.341हे0 से बना हाल नं० 5406/0.341हे0, साबिक नं० 2336मि०/0.291हे0 से बना हाल नं० 5407कमि०/0.326हे0 कुल 0.756हे0 भूमि संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 से आच्छादित पाया गया। गाटा सं० 5407कमि०/0.255हे0 व 5411/0.607हे0 कुल 0.862हे0 (2.12एकड़) भूमि धारा 4 की विज्ञापित में विज्ञापित नहीं पाया गया। जिसमें से 2.00 एकड़ भूमि का संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-19।

17. उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 17 पर उल्लिखित में यथार्थ इण्टरप्राईजेज, पा०-श्री आलोक कुमार सहाय के नाम से ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के भूखण्ड संख्या 5463/0.847हे0, 5465/0.582हे0, 5466/0.354हे0, 5467क/0.519हे0, 5552ख/0.759हे0 कुल 5 गाटा क्षेत्र 3.061हे0(7.56 एकड़) भूमि खनन पट्टा हेतु आवंटित है। धारा 4 की विज्ञापित में विज्ञापित साबिक गाटा सं० 2908मि०/0.126हे0 व 2909मि०/0.063हे0 से बना हाल नं० 5463मि०/0.177हे0, साबिक गाटा 2886मि० /0.253हे0 व 2909मि०/0.379हे0 से बना हाल नं० 5465/0.582हे0, साबिक नं० 2886मि०/0.379हे0 से बना हाल नं० 5466/0.354हे0 व साबिक नं० 2909मि०/0.126हे0 व 2910मि०/0.481हे0 से बना हाल नं० 5467क/0.519हे0 कुल 1.632हे0 भूमि धारा 4 से आच्छादित पाया गया। गाटा सं० 5463मि०/0.670हे0 व गाटा सं० 5552ख /0.759हे0 कुल 1.429हे0(3.52 एकड़) भूमि संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 की विज्ञापित में विज्ञापित नहीं पाया गया, जिसमें से 3.00 एकड़ भूमि का संयुक्त टीम द्वारा मौके पर सीमांकन के उपरान्त जिलाधिकारी सोनभद्र के कार्यालय का पत्र दिनांक-07.05.2019 द्वारा खनन कार्य करने की अनुमति दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-20।

अतः सिर्फ उन्ही खनन पट्टों को संचालन की अनुमति दी गयी है जो कि संयुक्त कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 4 से मात्र आंशिक रूप से

W

✓

